

राजस्थान सरकार  
निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान  
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-0141-2222403)  
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्र मांक : प.1(ग) (7)का/एसएमई/डीएलबी/18/3123


दिनांक : 10/5/18

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं फायरमैन संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-


क्र.स.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1.	भायना गुर्जर	फायरमैन	नाथद्वारा	करीली
2.	श्री रतनलाल	जमादार	सांचौर	जालौर
3.	श्री नंदलाल	सफाई कर्मचारी	बारा	छबडा
4.	श्री बलदेव जावा	सफाई कर्मचारी	झालरापाटन	नागौर
5.	श्री मांगीलाल	सफाई कर्मचारी	कोटा	झालरापाटन
6.	श्री अनिल कुमार/श्री श्यामलालजी	सफाई कर्मचारी	पिण्डवाडा	पाली
7.	रीना/श्री छोटेलालजी	सफाई कर्मचारी	आबुरोड	पाली
8.	श्री दिलीप कुमार/श्री पन्नालालजी	सफाई कर्मचारी	सादडी	पाली
9.	श्री राकेश/श्री जसराजजी	सफाई कर्मचारी	जालौर	पाली
10.	श्री रणजीत/श्री देवारामजी	सफाई कर्मचारी	सोजतसिटी	पाली
11.	श्री छोटु/श्री हरिशजी	सफाई कर्मचारी	जोधपुर	पाली
12.	श्रीमती उषा/श्री अरविन्दजी	सफाई कर्मचारी	सिरोही	सादडी
13.	श्री अर्जुन/श्री सम्पतजी	सफाई कर्मचारी	जैतारण	आबुरोड
14.	श्री पुखराज पुत्र श्री धीसारामजी	सफाई कर्मचारी	बाडमेर	बालोतरा
15.	श्री सुरेशचन्द पुत्र श्री सुखारामजी	सफाई कर्मचारी	बाडमेर	जोधपुर
16.	श्री नीतु/श्री चेनाराम	सफाई कर्मचारी	पाली	जोधपुर

उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर शिघ्र विभाग को अवगत करावे।



नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग की अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।


  
(पवन अरोडा)  
निदेशक एवं संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)( )का/एसएमई/डीएलबी/18/3124-173

दिनांक : 10/5/18

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिकाारी/नगरपरिषद/पालिका/कोटा/बांरा/करौली/नागौर/जालौर/पाली/जोधपुर/जैतारण/आबूरोड/सोजतसिटी/साद डी पिण्डवाडा/नाथद्वारा/सांचौर/झालरापाटन/छबडा।
4. उपनिदेशक(क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग,बीकानेर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
5. संबंधित कर्मचारी.....।
6. सुरक्षित पत्रावली।

  
(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)